डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

विक्रम पुत्र गोकल जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. मोतीराम | पिसरान मोहन, जाति मीना निवासी गांवडा मीना
2. सुगन | तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान————प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक, मुकदमा नं0221 / 2024

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू ......मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन का वादी विक्रम पुत्र गोकल जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और

ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.04.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 20/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 221 / 2024 तारीख रजू:—15.10.2024

जीसीएमएस नं0 2024 / 503

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

विक्रम पुत्र गोकल जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——————————————————————वादी

बनाम

1. मोतीराम | पिसरान मोहन, जाति मीना निवासी गांवडा मीना
2. सुगन | तह0 हिण्डौन जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज ——————प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. अशोक नीमनका एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांक:—20.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादी ने दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1251 रकबा 15 ऐयर स्थित ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन को दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नं0 1003 रकबा 12 बिस्वा स्थित ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन से तरमीम किया गया है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी नं01व 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है।

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी साबिक ख0नं0 1003 को 50सों साल पूर्व वादी के पिता मृतक गोकल को रहन रख दिया। एवं मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर मौखिक रूप से उक्त भूमि को कर्जे की अदायगी के बाद वापस लेने बावत मृतक गोकल को आश्वस्त किया, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते प्रतिवादीगण ने आज दिन तक वादी के मृतक

पिता के कर्जे की अदायगी नहीं की है। और उक्त भूमि आज दिन तक पूर्व में वादी के मृतक पिता गोकल के और वर्तमान में स्वयं वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। और वादी बजमाने बुजुर्गान से उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार का बिज एवं दखील चला आ रहा है। जिससे प्रतिवादीगण को भी कभी कोई गुरेज नहीं रहा है।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 1003 की जमाबंदी सं0 2020–2023 की खातेदारी के कॉलम में उक्त रहने का इन्द्राज वादी के मृतक पिता गोकल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिससे भूमि मुतविया पर वादी का कब्जा काश्त बिजग 60 सालों से होना भली प्रकार साबित है। इसलिए राज. टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 के प्रावधानों के तहत उक्त भूमि से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। और वादी उक्त भूमि के खातेदारी के कालम में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कराने का वैधानिक रूप से अधिकारी है।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि वादी द्वारा 20.09.2024 को श्रीमान तहसीलदारजी के कार्यालय में उक्त भूमि की खातेदारी स्वयं के नाम दर्ज कराने के आशय से एक प्रार्थना पत्र पेश किया तो श्रीमान तहसीलदारजी द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा दायर करने की दियत वादी को फरमाई हैं जबकि प्रतिवादीगण वादी के हक में उक्त भूमि की खातेदारी कराने को तैयार नहीं है। इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 20. 09.2024 को वादी द्वारा श्रीमान तहसीलदारजी के कार्यालय में उक्त भूमि की खातेदारी स्वयं के नाम दर्ज कराने से इन्कार करने की धमकी देने के कारण बमुकाम गावंवडा मीना तहसील हिण्डौन में पैदा हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि बिनाय मुखास्मत व सकूनत फरीकेन की दृष्टि से एवं वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन में स्थित होने के कारण उक्त वाद की सुनवाई का अधिकारी श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि दावा हाजा पर निश्चित कोर्ट फीस अदा की गयी है।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि राजस्थान टीनेन्सी ऐक्ट की धारा 88 व 188 के प्रावधानों के तहत पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि अन्तर्गत धारा 80(2) जाब्ता दीवानी की प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 11 क में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0नं0 1251 रकबा 15 ऐयर स्थित ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वाद पत्र के मद नं0 11 ख में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो करीने इन्साफ बहक वादी हो वह भी अता फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये राष्ट्रीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत दिनांक 29.01.2026 में सम्मन प्रकाशन होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 20.02.2026 को प्रतिवादीगण खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सं0 2030–33 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी विक्रम एवं प्रेमसिंह के बयान दर्ज कराये हैं।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2030–33 प्रदर्श–1 के अनुसार

विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1003 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी सुगन मोतीराम पि0 मोहन राहिन गोकल पुत्र रामभरोसी कौम मीना सा0देह मुर्तहिन दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1003 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन के नवीन खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.16 है0 ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन कायम किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं0 1251 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन की खातेदारी मोतीराम पुत्र मोहन हिस्सा 1/2, सुगन पुत्र मोहन हिस्सा 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1003 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन को खातेदार सुगन मोतीराम पि0 मोहन के द्वारा गोकल पुत्र रामभरोसी कौम मीना के यहॉ रहन रखी हुई थी। जो नकल जमाबन्दी सं0 2030–33 की जमाबन्दी पर दर्ज रहन मुर्तहिन के इन्द्राज से स्पष्ट है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी एवं उनके पिता गोकल का उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1003 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन पर सम्बत् 2030 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1003 रकबा 12 बिस्वा के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन कायम किये गये हैं। सेटिलमेन्ट विभाग ने उक्त विवादित आराजी पर से रहन मुर्तहिन के इन्द्राज को हजफ कर दिया गया है जबकि सेटिलमेन्ट विभाग को रहन मुर्तहिन के इन्द्राज को हजफ करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। प्रतिवादी सं01 व 2 को कोई आपत्ति होते तो प्रतिवादी सं01 व 2 बाद तामील न्यायालय हाजा में उपस्थित होते तथा अपना पक्ष रखते। किन्तु उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं01 व 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित

आराजी खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन पर वादी एवं उनके पिता गोकल का पिछले लगभग 45 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार वादी का उक्त विवादित आराजी पर एडवर्ष पजेशन साबित होता है तथा वादी उक्त विवादित आराजी के बाबत खातेदारी अधिकार धारा 63 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन का वादी विक्रम पुत्र गोकल जाति मीना निवासी गांवडा मीना तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम गांवडा मीना तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली